सं. 28/1/2017-ई.II(बी)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

व्यय विभाग

नई दिल्ली, 19 जुलाई, 2017

कार्यालय ज्ञापन

विषय: सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें लागू किया जाना - पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह, लक्षद्वीप द्वीपसमूह और लद्दाख में सेवारत केन्द्र सरकार के सिविल कर्मचारियों के लिए अतिरिक्त मकान किराया भत्ता।

सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें लागू किए जाने पर दिनांक 07.07.2017 के कार्यालय ज्ञापन सं.2/5/2017-ई.II(बी) के तहत केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए अनुमत मकान किराया भत्ते की दरों के पुनरीक्षण के परिणामस्वरूप और उपर्युक्त विषय पर इस मंत्रालय के दिनांक 29.03.1984 के कार्यालय ज्ञापन सं.11016/1/ई.II(बी)/84 और दिनांक 02.01.2009 के कार्यालय ज्ञापन सं.2(19)/ई.II(बी)/2008 का उपांतरण करते हुए, पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह, लक्षद्वीप द्वीपसमूह और लद्दाख में तैनात केन्द्र सरकार के सिविल कर्मचारियों, जो अपने परिवार को अपने पुराने ड्यूटी स्टेशन पर छोड़ते हैं, को दिनांक 07.07.2017 के कार्यालय ज्ञापन सं.2/5/2017-ई.II(बी) के अनुसार पुनरीक्षित दरों पर अतिरिक्त मकान किराया भत्ता प्रदान किया जाएगा।

2. ये आदेश ऐसे कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे जिनका 01.07.2017 से पहले ही पूर्वोत्तर क्षेत्र, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह, लक्षद्वीप द्वीपसमूह और लद्दाख से बाहर स्थानांतरण कर दिया गया था।

3. **ये आदेश 01 जुलाई, 2017 से लागू हैं।**

4. ये आदेश उन सिविल कर्मचारियों पर भी लागू होंगे जिन्हें "रक्षा सेवा प्राक्कलनों" से भुगतान किया जाता है और यह व्यय "रक्षा सेवा प्राक्कलनों" के संगत शीर्ष में प्रभारित किया जाएगा। सशस्त्र बलों के कार्मिकों और रेलवे कर्मचारियों के संबंध में आदेश अलग से क्रमश: रक्षा मंत्रालय और रेल मंत्रालय द्वारा जारी किए जाएंगे।

5. जहां तक भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग में कार्यरत व्यक्तियों का संबंध है, ये आदेश भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक की सहमति से जारी किए गए हैं।

(ऐनी जॉर्ज मैथ्यू)

संयुक्त सचिव, भारत सरकार

सेवा में

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग - मानक वितरण सूची के अनुसार।

प्रतिलिपि: नियंत्रक महालेखापरीक्षक और संघ लोक सेवा आयोग आदि को मानक पृष्ठांकन सूची के अनुसार।